(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 105 नई दिल्ली 11 मई, 2011

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48 के द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्‌वारा कंडला पत्तन न्यास में अपने बर्थ क्रमांक 11 एवं 1 पर प्रचालन हेतु एबीजी कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड की प्रचलित दरमान की वैधता के अवधि को संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला संख्या. टीएएमपी/43/2005-एबीजीकेसीटीएल

आदेश

(मई, 2011 के दूसरा दिन पारित)

यह मामला कंडला पत्तन न्यास में अपने बर्थ क्रमांक 11 एवं 12 पर प्रचालन हेतु एबीजी कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड की प्रचलित दरमान की वैधता को बढ़ाने से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने एबीजीकेसीटीएल की प्रचलित दरमान को दिनांक 12 अक्टूबर,2007 के अपने आदेश संख्या टीएएमपी /43/2006-एबीजीकेसीटीएल के माध्यम से 25 नवबंर, 2010 तक की वैधतावाली अवधि तक अनुमोदित किया था । तदनुसार, एबीजीकेसीटीएल के अनुरोध पर प्रचलित दरमान की वैधता को दिनांक 29 नवबंर,2010 के आदेश के द्वारा 31 मार्च , 2011 तक बढ़ाया गया था।

3. एबीजीकेसीटीएल द् वारा दिसंबर, 2010 में दरमान की संशोधन के लिए दाखिल प्रस्ताव को प्रशुल्क मामला के रूप में पंजीकृत किया गया है और इसे परामर्श के लिए रखा गया है। एबीजीकेसीटीएल और केपीटी से माँगी गई अतिरिक्त सूचना/ स्पष्टीकरण अभी तक प्रतीक्षित हैं। इस मामले में 5 मई , 2011 को संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई का गठन किया जायेगा ।

4. एबीजीकेसीटीएल और केपीटी से माँगी गई आवश्यक अतिरिक्त सूचना /स्पष्टीकरण प्राप्ति के उपरांत, मामले पर अंतिम निर्णय देने के पहले प्रत्युत्तर परीक्षण पर वैधानिक या कानूनी कार्यवाही में लगनेवाले अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए, प्रचलित दरमान की वैधता के समाप्त तिथि से 30 सितबंर ,2011 तक अथवा दरमान संशोधन की प्रस्ताव पर अंतिम निपटान, इसमे से जो भी पहले हो, अवधि तक बढ़ाता है।

5. इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, यदि 26 नवंबर,2010 के बादवाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष